

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(षष्ठम् सत्र)

मौखिक उत्तर हेतु स्थगित प्रश्न

वीरवार, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण, 1941(शक्)

[मुख्य मन्त्री - सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री - शिक्षा मन्त्री - शहरी विकास मन्त्री - कृषि मन्त्री - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री - ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री - उद्योग मन्त्री - वन मन्त्री तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री].

कुल प्रश्न - 1

नई पेंशन योजना

*1110 श्री राकेश सिंघा(ठियोग) :
श्री मुकेश अग्निहोत्री(हरोली) :

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) केन्द्र सरकार द्वारा New Pension Scheme (NPS) के नियमों में बदलाव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह नियम प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू करने का सरकार विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो कारण;

(ग) प्रदेश सरकार राज्य के कर्मचारियों को 2003 से पहले की पद्धति पर पेंशन देने का विचार रखती है;

(घ) सरकार पेंशनरों को 65 साल पूरा करने पर 5 फीसदी, 70 साल पर 10 फीसदी व 75 साल पर 15 फीसदी बेसिक पेंशन बढ़ोतरी का विचार रखती है; बेसिक पेंशन के इन सलैबों की प्रणाली पंजाब में लागू है; इसे प्रदेश में लागू करने पर सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा; और

(ड.) प्रदेश में इस समय कितने पेंशनर हैं और पेंशन पर कितना भुगतान हो रहा है?

शिमला: 171004.

दिनांक: 3 अगस्त, 2019.

यशपाल शर्मा,

सचिव।